निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

3 श्रावण 1935 (श0)

(सं0 पटना 593) पटना, वृहस्पतिवार, 25 जुलाई 2013

श्रम संसाधन विभाग,
निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना

———————

अधिसूचनाएं
19 जुलाई 2013

सं0 टी1/स्था0(6)अनु0 190/2008–2263**—**भारत–संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल श्रम संसाधन विभाग के अधीन निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष) के अधीन राज्य के विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए अनुदेशकों की नियुक्ति, प्रोन्नति सेवा शर्त्तो को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण अनुदेशक संवर्ग नियमावली–2013

भाग– I

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।**–(1) यह नियमावली ''बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण अनुदेशक संवर्ग नियमावली 2013'' कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार बिहार राज्य में होगा ।

(3) यह तुरंत प्रवृत होगी ।

2. **परिभाषाऍं।**– इस नियमावली में, जब तक कोई बात विषय या संदर्भ के विरुद्ध न हो –

(क) ''संवर्ग'' से अभिप्रेत है बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण अनुदेशक संवर्ग ;

(ख) ''कोटि'' से अभिप्रेत है, नियम–3 में विर्निदिष्ट कोटि ;

(ग) ''सीधी भर्त्ती से नियुक्त व्यक्ति'' से अभिप्रेत है सक्षम प्राधिकारी द्वारा बिहार कर्मचारी चयन आयोग से प्राप्त अनुशंसा के आधार पर अनुदेशक के पद पर नियुक्त व्यक्ति;

(घ) ''औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान'' से अभिप्रेत है बिहार राज्य के सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान;

(ड.) '' नियुक्ति प्राधिकारी'' से अभिप्रेत है निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना;

(च) '' परिवीक्षाधीन'' से अभिप्रेत है अनुदेशक संवर्ग में परिवीक्षा परं नियुक्त व्यक्ति;

(छ) ''वरीयता सूची'' से अभिप्रेत है संवर्ग के कर्मचारियों की वरीयता सूची, जिसका संधारण निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष) बिहार पटना द्वारा किया जाएगा;

(ज) ''राज्य सरकार'' से अभिप्रेत है बिहार सरकार (श्रम संसाधन विभाग); तथा

(झ) ''आयोग'' से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग ।

3. बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण अनुदेशक संवर्ग का स्तर एवं कोटियॉं ।–(1) बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण अनदुेशक संवर्ग राज्य स्तर का होगा और इसके सदस्य राज्य स्थित प्रशिक्षण संस्थानों के अनुदेशक होंगे। इस संवर्ग में निम्नलिखित कोटियों के पद होंगे :–

(I) व्यवसाय अनुदेशक, ड्राईंग अनुदेशक,गणित अनुदेशक, अनुरक्षण अनुदेशक इलेक्ट्रीकल, अनुरक्षण अनुदेशक मेकैनिकल, स्टेनोग्राफी हिन्दी अनुदेशक एवं स्टेनोग्राफी (अंग्रेजी) अनुदेशक उपरोक्त सभी पद मूल अनुदेशक संवर्ग कोटि के पद होंगे।

(II) मुख्य अनुदेशक/तकनीकी सहायक (प्रोन्नति का प्रथम सोपान)

(III) सहायक अधीक्षक (प्रोन्नति का द्वितीय सोपान)

(2) संवर्ग की विभिन्न कोटियों में पूर्व से नियुक्त एवं कार्यरत व्यक्ति स्वतः इस संवर्ग में शामिल समझे जायेंगे ।

भाग–2
सीधी भर्त्ती

4. भर्त्ती का स्त्रोत।– संवर्ग में सीधी भर्त्ती, मूल कोटि में लिखित परीक्षा के आधार पर, आयोग की अनुशंसा के आधार पर की जायगी ।

(क) पद का सोपान, नियुक्ति/प्रोन्नति हेतु अनुपात, शैक्षणिक अर्हत्ता एवं अनुभव–

क्रम सं0	पदनाम /ग्रेड	सीधी नियुक्ति एवं प्रोन्नति का क्रमशः अनुपात	प्रोन्नति का सोपान	सीधी नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता/तकनीकी अर्हताऍं एवं अनुभव
(1)	व्यवसाय अनुदेशक	'शत प्रतिशत सीधी नियुक्ति	मुख्य अनुदेशक/ तकनीकी सहायक	किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से इंजिनियरिंग में डिग्री 1 (एक) वर्ष के अनुभव के साथ। अथवा संबंधित व्यवसाय में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से तीन वर्ष का डिप्लोमा एवं 2 (दो) वर्ष का अनुभव । अथवा संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण–पत्र या राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण–पत्र एवं 3(तीन) वर्ष का अनुभव । **वांछनीय अर्हताऍं** डी0जी0ई0टी0 के किसी संस्थान के प्रिसिंपल ऑफ टिचिंग(पी0ओ0टी0) से प्राप्त उत्तीर्णता प्रमाण–पत्र ।
(2)	(i) अनुरक्षण अनुदेशक मेकैनिकल (ii) अनुरक्षण अनुदेशक (इलेक्ट्रीकल)	शत प्रतिशत सीधी नियुक्ति	मुख्य अनुदेशक/ तकनीकी सहायक	किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से इंजिनियरिंग में डिग्री एवं कारखाना के अधिनियम के अधीन पंजीकृत किसी कारखाना से मशीनों की मरम्मति एवं रख–रखाव का 1 (एक) वर्ष का अनुभव । अथवा संबंधित व्यवसाय में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 3 (तीन) वर्षो का डिप्लोमा एवं कारखाना अधिनियम के अधीन पंजीकृत किसी कारखाना से मशीनों की मरम्मति एवं रख–रखाव का 2 (दो) वर्षो का अनुभव । अथवा संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण–पत्र या राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण–पत्र, कारखाना अधिनियम के अधीन पंजीकृत किसी कारखाना से मशीनों की मरम्मति एवं रख–रखाव का 3 (तीन) वर्षो का अनुभव ।
(3)	ड्राईंग अनुदेशक	शत प्रतिशत सीधी नियुक्ति	मुख्य अनुदेशक / तकनीकी सहायक	किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से यांत्रिकी इंजिनियरिंग में डिप्लोमा, 2 (दो) वर्षो के अनुभव के साथ। अथवा

क्रम सं0	पदनाम /ग्रेड	सीधी नियुक्ति एवं प्रोन्नति का क्रमशः अनुपात	प्रोन्नति का सोपान	सीधी नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता/तकनीकी अर्हताएँ एवं अनुभव
				एन0सी0भी0टी0 द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से ड्राफ्ट मैन यांत्रिकी प्रमाण–पत्र, 3 (तीन) वर्षों के अनुभव के साथ।
(4)	गणित अनुदेशक	शत प्रतिशत सीधी नियुक्ति	मुख्य अनुदेशक / तकनीकी सहायक	किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से इंजिनियरिंग में डिप्लोमा, 2 (दो) वर्षो के अनुभव के साथ।
(5)	स्टेनोग्राफी हिन्दी/अंग्रेजी अनुदेशक	शत प्रतिशत सीधी नियुक्ति	मुख्य अनुदेशक / तकनीकी सहायक	स्टेनोग्राफी (हिन्दी/अंग्रेजी) में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण–पत्र या राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण–पत्र अथवा समकक्ष । (क) श्रुतिलेख में कम से कम 120 शब्द प्रति मिनट की गति। (ख) टंकण में 40 शब्द प्रति मिनट की गति। (ग) कम्प्यूटर का ज्ञान अनिवार्य। (घ) 3 (तीन) वर्षो का अनुभव ।
(6)	मुख्य अनुदेशक/ तकनिकी सहायक	मूल कोटि से शत प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ।	सहायक अधीक्षक	न्यूनतम कालावधि छः वर्ष
(7)	सहायक अधीक्षक	25% सीधी नियुक्ति द्वारा तथा 75 % मुख्य अनुदेशक/ तकनीकी सहायक से प्रोन्नति द्वारा	उप प्राचार्य / उपाधीक्षक	किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से इंजिनियरिंग में डिप्लोमा, 3 (तीन) वर्षो के अनुभव के साथ। अथवा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से इंजिनियरिंग में डिग्री, 2 (दो) वषो के अनुभव के साथ।

(ख) कालावधि ।– संवर्ग के विभिन्न कोटियों में प्रोन्नति हेतु न्यूनतम कालावधि वही होगी, जो राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जाए।

5. रिक्तियों की निर्धारण।– राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष की 1ली अप्रैल को संवर्ग में सीधी नियुक्ति एवं प्रोन्नति के पदों की रिक्तियों के लिए पृथक रुप से निर्धारित करेगी । रिक्तियों की अधियाचना आयोग को 30 अप्रैल तक भेजी जाएगी ।

6. विज्ञापन।– सीधी नियुक्ति हेतु रिक्तियों की अधियाचना प्राप्त होने पर, आयोग, समय– समय पर, उन रिक्तियों को भरने की अनुशंसा देने हेतु, यथोचित रीति से, विज्ञापित करेगा।

7. उम्र सीमा।– सीधी नियुक्ति हेतु न्यूनतम उम्र सीमा अधियाचना के वर्ष की 1ली अगस्त को 21 (इक्कीस) वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए एवं अधिकतम उम्र सीमा वही होगी जो सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा, समय–समय पर विहित की जाय।

8. आरक्षण।– राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा, समय–समय पर, निर्धारित आरक्षण के प्रावधान नियुक्ति /प्रोन्नति मे लागू होगें ।

9. आवेदन।– उम्मीदवार, आयोग द्वारा विहित–प्रपत्र में, आयोग के सचिव के पास अपना आवेदन आयोग द्वारा नियत तिथि के भीतर भेजेगा । विहित–प्रपत्र आयोग से प्राप्त किया जा सकेगा ।

10. नियोजन की प्रकिया।–(क) भारत सरकार डी0जी0ई0टी0 द्वारा निर्गत प्रावधानानुसार एन0सी0भी0टी0 से संबंधन प्राप्त औ0 प्र0संस्थानों में अनुदेशकों के अर्हताओं के मापदण्ड के अनुसार प्रत्येक दो (1+1) युनिट में अनुदेशकों को सुसंगत शाखा में डिप्लोमा /डिग्री प्राप्त होना अनिवार्य होगा । अनुदेशक के पद पर सीधी नियुक्ति के संबंध में उपरोल्लिखित अनुदेशों के पालन के लिए, अनुदेशकों के रिक्तियों की अधियाचना आयोग को दो भागों में भेजी जायेगी। प्रत्येक ट्रेड में, रिक्तियों के आधार पर प्रति दो (1+1) यूनिट (प्रति दो पद) में से एक पद डिग्री/डिप्लोमाधारी उत्तीर्ण उम्मीदवारों के लिए होगा एवं एक पद आई0टी0आई0 उत्तीण उम्मीदवारों के लिए होगा । यदि किसी ट्रेड में दो के गुणात्मक संख्या से एक अतिरिक्त पद शेष बच जाता है तो वह पद डिप्लोमा / डिग्रीधारी उम्मीदवारों के अधियाचना में भेजा जायेगा ।

(ख) डिग्री /डिप्लोमाधारी एवं आई0टी0आई0 उत्तीर्ण अनुदेशकों की नियुक्ति की अधियाचना, रिक्तियों के अनुसार एक आरक्षण वर्गवार, आयोग को एक सम्व्यवहार में भेजी जायेगी।

(ग) डिग्री /डिप्लोमाधारी तथा आई0टी0आई0 उत्तीर्ण दोनों अधियाचनाओं के उम्मीदवारों के लिए अलग–अलग पाठ्यक्रम होगा। परीक्षा का पाठ्यक्रम आयोग द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

(घ) आयोग एक ही तिथि को आयोजित लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर दोनो अधियाचनाओं के उम्मीदवारों का चयन कर, अपनी अनुशंसा निदेशालय को उपलब्ध करायेगा । आयोग से प्राप्त अनुशंसा सूची विभाग में प्राप्ति के एक वर्ष तक मान्य होगा ।

11. परीक्षा फीस।– आयोग द्वारा यथा विहित फीस उम्मीदवार द्वारा देय होगा ।

12. परिवीक्षा अवधि।– (1) सभी सीधी नियुक्तियॉ परिवीक्षा पर की जाएगी इसकी अवधि दो वर्ष की होगी।

(2) यदि किसी परिवीक्षाधीन कर्मचारी का कार्य या आचरण सभी प्रकार से संतोषप्रद न पाया जाय या एक दक्ष कर्मचारी होने की कोई संभावना नहीं हो तो परिवीक्षा अवधि एक वर्ष के लिए और बढ़ाई जा सकेगी । यदि विस्तारित अवधि के दौरान कार्य/ आचरण संतोषप्रद नहीं हो तो उसे यथास्थिति, पदमुक्त या मूल पद पर पदावनत किया जा सकेगा ।

(3) परिवीक्षा अवधि पर, सीधी नियुक्ति द्वारा नियुक्त अनुदेशकों/सहायक अधीक्षक से ऐसी विभागीय परीक्षाऍ उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जा सकेगी जो सरकार द्वारा विहित की जाय।

13. प्रशिक्षण।– परिवीक्षा अवधि में, व्यवसाय अनुदेशक को ऐसे प्रशिक्षण में भाग लेना आवश्यक होगा, जो राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित की जाय ।

14. सम्पुष्टि।– परिवीक्षा अवधि पूरी होने तथा विहित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने के उपरान्त सेवा सम्पुष्ट की जाएगी ।

15. अनुदेशक कोटि में वरीयता का अवधारण।– (1) निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष) स्तर पर अनुदेशकों की एक वरीयता सूची तैयार की जायगी, जिसका अवधारण, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा, समय–समय पर, निर्गत परिपत्रों एवं सिद्धान्तों के अनुसार किया जायेगा ।

(2) विभिन्न व्यवसायों के अनुदेशकों की वरीयता सूची तद्नुसार नियुक्ति की तिथि के आधार पर तैयार की जायगी ।

(3) एक ही तिथि को नियुक्त होने वाले अनुदेशकों की वरीयता क्रमशः उनकी शैक्षणिक अर्हता अथवा उनकी जन्म–तिथि की वरीयता (अधिक उम्र वाले को वरीय माना जायगा) द्वारा निर्धारित की जायेगी ।

(4) जन्म–तिथि एक होने के मामले में मैट्रिकूलेशन के प्राप्तांक के आधार पर वरीयता निर्धारित की जाएगी।

(5) एक सम्व्यवहार में एक किस्म की रिक्तियों की दशा में, ड्रिग्री /डिप्लोमा तथा आई0टी0आई0 उत्तीण उम्मीदवारों की अनुशंसा प्राप्त होने पर डिग्री /डिप्लोमा के अनुशंसित उम्मीदवारों को आई0 टी0 आई0 उत्तीर्ण उम्मीदवारों से वरीय माना जायेगा ।

भाग–3
प्रोन्नति

16. प्रोन्नति।– (1) इस संवर्ग में प्रोन्नति विभागीय प्रोन्नति समिति के अनुशंसा के आधार पर विचारणीय होगी । प्रोन्नति के आधार निम्नलिखित होगें :–

(क) वरीयता
(ख) कालावधि
(ग) पात्रता /अर्हत्ता।

(2) सेवा में नियुक्त कर्मचारियों की वरीयता सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर निर्धारित सिद्धान्त एवं प्रक्रिया से प्रभावित होगी ।

17. विभागीय प्रोन्नति समिति।– निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण के अधीन मुख्य अनुदेशक/तकनीकी सहायक /सहायक अधीक्षक की प्रोन्नति के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित को मिलाकर गठित की जायगी :–

1.	निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण–	अध्यक्ष
2.	उप–निदेशक, प्रशिक्षण–	सदस्य
3.	सचिव/प्रधान सचिव,श्रम संसाधन विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट पदाधिकारी	सदस्य
4.	उप–निदेशक (नियोजन)–	सदस्य
5.	सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट अनु0 जाति/ अनु0 जनजाति का एक पदाधिकारी–	सदस्य

18. विनियम बनाने की शक्ति।– इस नियमावली के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यकतानुसार राज्य सरकार विनियमावली बना सकेगी ।

19. निरसन।– इस संवर्ग की विभिन्न कोटियों के संबंध में पूर्व में निर्गत सभी नियमावली अनुदेश, संकल्प आदि इस नियमावली के प्रवृत होने की तिथि से निरसित समझें जाएगें ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सुभाष शर्मा,
सरकार के प्रधान सचिव।

The 19th July 2013

No. T-1/Est.(6)Ins-190/08-2263—In the exercise of the powers conferred under Proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules to regulate the appointment and service conditions for Instructors in different Industrial Training Institutes / Offices of the State which are under the Directorate of Employment and Training (Training Wing) of the Department of Labour Resources :-

1. Short title Extent and commencement.—(1) These Rules may be called the "Bihar Industrial Training Instructor Cadre Rules, 2013 ".

(2) It shall be extended to whole Bihar.

(3) It shall come into force at once.

2. Definitions.—In these Rules unless there is anything repugnant to the subject or the context

(a) "Cadre" means the Bihar Industrial Training Instructor Cadre.

(b) "Category" means category specified in Rule 3

(c) "Person appointed by direct recruitment" means a person recruited to the post of instructor on the basis of recommendations of Bihar Staff Selection Commission by the competent authority.

(d) "Industrial Training Institute" means Government Industrial Training Institute of Bihar State.

(e) "Appointing Authority" means Director, Employment and Training, Bihar, Patna.

(f) "Probationer" means a person recruited in instructor cadre on probation.

(g) "Seniority list" means the seniority list of employee of instructor which shall be maintained by the Director Employment and Training (Training Wing) Bihar, Patna.

(h) "State Government" means Government of Bihar (Labour Resources Department) and

(i) "Commission" means Bihar Staff Selection Commission.

3. Cadre & Categories of Bihar Industrial Training Instructor.—(1) Bihar Industrial Training Instructor cadre will be State level & its member will be the Instructor of Industrial Training Institutes situated in the State. The posts of the following categories will be in this cadre:-

(i) Trade Instructor, Drawing Instructor, Mathematics Instructor, Maintenance Instructor Electrical, Maintenance Instructor Mechanical, Stenography (Hindi) Instructor, Stenography (English), Instructor. All posts mentioned above shall be original cadre posts.

(ii) Chief Instructor /Technical Assistant (First stage of promotion)

(iii) Assistant Superintendent (Second stage of promotion).

(2) The persons appointed and working in different category of cadre, shall be deemed to be automatically included in this cadre.

Part-2

Direct Recruitment

4. Sources of Recruitment.—The direct recruitment in the basic category of this cadre will be made on the basis of recommendation of Commission, based on written examination.

(A) Stage of posts /appointment/ proportional ratio of promotion and Educational Qualification and Experience of the posts :

Sl. No.	Name of Post/Grade	Proportional ratio of direct appointment & by promotion respectively	Stages of Promotion	Minimum Educational/ Technical Qualifications & Experiences for Direct Recruitment
(1)	Trade Instructor	Cent percent Direct Recruitment	Chief Instructor / Technical Assistant	Degree in Engineering from any recognized institute with 1 (one) year experience. OR Three years Diploma in concerned trade from any recognized institute with 2(two) years experience. OR National Apprenticeship certificate or National Trade Certificate in concerned trades with 3(three) years experience. **Desirable Qualification** Passing certificate obtained from Principle of Teaching (POT) from any institute of DGET.
(2)	(i) Maintenance Instructor Mechanical (ii) Maintenance Instructor Electrical	Cent percent Direct Appointment	Chief Instructor /Technical Assistant	Degree in Engineering from any recognized institute with 1(one) year experience of repairing & maintenance of machines from any factories registered under the Factory Act. OR Three years Diploma in concerned trade from any recognized

Sl. No.	Name of Post/Grade	Proportional ratio of direct appointment & by promotion respectively	Stages of Promotion	Minimum Educational/ Technical Qualifications & Experiences for Direct Recruitment
				institution with 2 (two) years experience in repairing & Maintenance of Machines from any factory registered under the Factory Act. OR National Apprenticeship certificate or National trade certificate in the concerned trades with 3 (three) years experience in repairing & Maintenance of Machines from any factory registered under the Factory Act. **Desirable Qualification** Passing Certificate obtained from Principle of Teaching (POT) from any Institute of DGET.
(3)	Drawing Instructor	Cent percent Direct Appointment	Chief Instructor / Technical Assistant	Diploma in Mechanical Engineering from any recognized institution with 2 (two) years experience. OR Drafts Man Mechanical certificate from any institute recognized by NCVT with 3(three) years experience.

Sl. No.	Name of Post/Grade	Proportional ratio of direct appointment & by promotion respectively	Stages of Promotion	Minimum Educational/ Technical Qualifications & Experiences for Direct Recruitment
(4)	Math Instructor (workshop calculation & science)	Cent percent Direct Appointment	Chief Instructor / Technical Assistant	Diploma in Engineering from any recognized institute with 2(two) years experience.
(5)	Stenography Hindi/English Instructor	Cent percent Direct Appointment	Chief Instructor / Technical Assistant	National Apprenticeship certificate or National trade certificate in stenography (Hindi/English) or equivalent. (a)Minimum speed of 120 words per minute in Shorthand. (b) 40 words per minute Speed in typing. (c) Knowledge of Computer is must. (d) Three years experience.
(6)	Chief Instructor / Technical Assistant	Cent percent by promotion from basic Category.	Assistant Superintendent	Minimum kalawadhi six years.
(7)	Assistant Superintendent	25% by Direct Appointment and 75% by promotion from Chief Instructor / Technical Assistant.	Vice Principal / Dy Superintendent	Three years Diploma in Engineering from any recognized institution with 3 (three) years experience. OR Degree in Engineering From any recognized institution with 2(two) years experience.

(B) KALAWADHI .—The minimum time for the promotion for different category of cadre will be determined by General Administrative Department Time to time.

5. Determination of Vacancies.—The Government will determine separately vacancies for direct appointment and promotional post till 1st April every year. Requisition of vacancies will be communicated to Commission up to 30th April.

6. Advertisement.—Commission will advertise the vacant post as per rule for recommendation to fill up the vacancies on receiving the vacancies for direct recruitment.

7. Age Limit.—For direct appointment, the age of the candidate should not be less than 21 years on the 1st August of the requisition year and the maximum age shall be the same as prescribed by the General Department Administration of the Govt. from time to time.

8. Reservation.—State Government Reservation Policy (General Administration Department) issued from time to time will be applicable in Appointment/ Promotion.

9. Application.—The candidate will send his/her application in prescribed form to the Secretary, Commission within the date fixed by the commission. The prescribed form may be obtained from the Commission.

10. Process of Employment.—(a) As per the provisions issued for qualifications of Instructors for NCVT affiliated ITI's by DGET, Govt. of India, Instructors must have Degree /Diploma in relevant branch of Engineering two per units (1+1). For compliance of above mentioned directions regarding direct appointment on the post of instructor, Requisition of vacancies will be sent to the commission in two parts. Out of these two units, one post will be for the passed candidates of Diploma/Degree and one post will be for ITI's passed candidates. If one post remains after factorization by two in any trades, that post will be sent in requisition of Degree /Diploma holder candidates in every Trade on the basis of vacancies.

(b) Requisition of appointment of Degree/Diploma Holder and I.T.I. passed candidates to the Commission in one transaction according to the vacancies and Reservation wise.

(c) There will be a separate Syllabus for both requisitions of degree /diploma holders and ITI passed candidates. Syllabus of examination will be determined by The Commission.

(d) The Commission will communicate and provide his recommendation to the Directorate, after selection of candidates of both requisitions on the basis of written examination held on the same date

11. Examination Fees .—Fees as determined by the commission will be payable by the candidates.

12. Probation period .— (1) All direct appointment will be made on probation. This period shall be of two years.

(2) If work and conduct of any probationary Employee is not found satisfactory or there is no possibility to be an efficient employee in future, the probation period may be extended for one year more. If work and conduct of the employee is not found satisfactory during extended period, he may be dismissed from the post or reverted to his basic post.

(3) Instructors /Assistant superintendent appointed on probation by direct appointment may be required to pass such Departmental Examinations, which may be prescribed by the Government.

13. Training.—In probation period , it shall be necessary to Trade Instructor to participate in such training as decided by the State Government.

14. Confirmation.—On Completion of probation period and passing out Departmental examination, the service shall be confirmed.

15 . Determination of seniority of instructor category.—(1) A seniority list will be prepared at the level of Directorate Employment & Training (Training Wing) which

shall be determined on the basis of circulars/Principles issued by department of General Administrative, Govt. of Bihar.

(2) Seniority list of instructors of different trades will be prepared on the basis of date of appointment accordingly.

(3) Seniority of instructors appointed on same date for same transaction will be decided by his/her educational qualification or his/her date of birth (older will be deemed to be senior).

(4) In case of same date of birth, seniority will be decided on the basis of obtained marks of matriculation.

(5) Recommendation received in the same transaction, in case of passed candidates of Degree /Diploma/ and I.T.I. for same kind of vacancies recommended candidates of degree/diploma holders will be senior.

PART III
PROMOTION

16. Promotion.—(1) Promotion , in this cadre, will be considerable on the basis recommendation departmental promotion committee Grounds of promotion will be the following :-

(a) Seniority
(b) Kalawadhi
(c) Eligibility/ Qualification

(2) The seniority of employees appointed in service will be affected by the principle and policies determined by the General Administration Department from time to time.

17. Departmental Promotion Committee.—Chairman & members of departmental promotion committee, for the promotion of Chief Instructor / Technical assistant/ Assistant Superintendent , shall be constituted consisting of the following :-

1. Director, Employment & Training	Chairman
2. Dy Director Training	Member
3. Officer nominated by Secretary /Principal Secretary, Labour resources department	Member
4. Dy Director (Employment)	Member
5. An Officer of SC/ST nominated By General Administration Department	Member

18. Power to make Regulation.—The State Government may make regulation for implementation of the provision of these rule according to necessity.

19. Repeal.—All the previous Rules, Instructions, resolutions etc, issued in respect of different categories of this cadre shall be deemed to be repealed from the date of coming into force of these Rules.

By order of the Governor of Bihar,
SUBHASH SHARMA,
Principal Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 593-571+500-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in